प्रशासनिक आदेश संख्या 293/2020 दिनांक 19/08/2020

प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–01, सीतापुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 19–08–2020 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि बार ऐसोसिएशन सीतापुर द्वारा प्रेषित पत्र में यह दर्शित किया गया है कि दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर में श्री राकेश कुमार वर्मा अपनी सीट डालकर नियमित विधि व्यवसाय करते हैं। उनके द्वारा फोन व वाट्सऐप के माध्यम से सूचित किया गया है कि उन्होनें अपनी कोविड–19 की जांच कराई थी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 18–08–2020 को प्राप्त हुई है, जिसमें श्री वर्मा एडवोकेट धनात्मक पाये गये हैं। अतः अनुरोध किया गया है कि दीवानी न्यायालय परिसर साफ–सुथरा तथा पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड–19 की गाइड लाइन के अनुसार 48 घण्टे न्यायालय बंद कराये जाने की संस्तुति की गयी है। प्रभारी अधिकारी,सामान्य प्रशासन की उपरोक्त आख्या को दृष्टिगत् रखते हुये तथा आख्या को अनुमोदित करते हुये निम्न आदेश पारित किया जाता है–

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVll-CPC/eCouets/Allahabad: Dated- 03 June 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत् रखते हुये न्यायालय परिसर स्थित समस्त न्यायालयों को दिनांक 20–08–2020 व 21–08–2020 (48 घण्टे) तक के लिये वृहद सेनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है एवं सेनेटाइजेशन के पश्चात् न्यायालय परिसर शनिवार एवं रविवार अवकाश के उपरांत दिनांक 24–08–2020 को पूर्ववत् खुलेगा।

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVll-CPC /eCouets/Allahabad: Dated- 03 June 2020 में वर्णित निर्देशों के अनुपालन में जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं नगर पालिका, सीतापुर दिनांक 20–08–2020 व 21–08–2020 को जनपद न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय/कार्यालय/अनुभाग/परिसर/भवन/बार एसोसिऐशन/आवासीय परिसर जजेज कालोनी को सम्पूर्ण रूप से सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करें एवं सम्पूर्ण न्यायालय की साफ–सफाई भी कराना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय नाजिर एवं उप नाजिर, जनपद न्यायालय सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेनेटाइजेशन के कार्य में उपरोक्त की आवश्यकता सहायता करें।

यहीं पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दिनांक 20–08–2020 एवं 21–08–2020 को जनपद सीतापुर के वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां एवं सिविल जज(जू0डि0) महमूदाबाद तथा ग्राम्य न्यायालय सिधौली पूर्ववत् खुले रहेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

आदेश की एक प्रति सिस्टम आफीसर,केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, दीवानी न्यायालय, सीतापुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

19/8/20

(कुलदीप कुमार–II)
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष,बचाव एवं राहत समिति,सीतापुर।
2– जिला अधिकारी,सीतापुर।
3– पुलिस अधीक्षक,सीतापुर।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी,सीतापुर।
5– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,सीतापुर।
6– अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिऐशन,सीतापुर।
7– जेल अधीक्षक,जिला कारागार,सीतापुर।
8– अधिशाषी अधिकारी,नगर पालिका,सीतापुर।
9– जिला सूचना अधिकारी,सीतापुर।

19/8/20

(कुलदीप कुमार–II)
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।